

**UNDER GRADUATE ENGINEERING ADMISSION  
COUNSELLING (UGEAC)-2024**

**FOR**

**Admission to B. Tech. Courses in Engineering Colleges /  
B. Arch. Course in Gaya College of Engineering,  
Gaya / B. Tech. (D.T.) Course in SGIDT, Patna**

**UGEAC – 2024**

**Prospectus**

**शैक्षणिक सत्र – 2024**

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद**

**Visit our Website: [bceceboard.bihar.gov.in](http://bceceboard.bihar.gov.in)**

## UGEAC-2024 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

<u>क्रम संख्या</u>	<u>विवरण</u>	<u>कॉडिका</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
	परिचय ।	-	1
1.	संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा प्रारम्भ।	1	1
2.	संस्थान परिवर्तन ।	2	1
3.	अभियंत्रण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें।	3	1
4.	आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति ।	4	1
5.	अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएँ / अर्हतायें ।	5	3
6.	सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें ।	6	4
7.	<b>JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024</b> की मेधा-सूची के आधार पर UGEAC-2024 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए योग्यता (Eligibility), Online आवेदन की प्रक्रिया एवं कॉउन्सेलिंग शुल्क।	7	5
8.	कॉउन्सेलिंग सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ ।	8	7
9.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ ।	9	7
10.	परिशिष्ट-1 (Schedule-I) (सरकारी अभियंत्रण कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की विवरण)	-	9-15
11.	परिशिष्ट-1 (Schedule-II) Dr. APJ Abdul Kalam, Women Institute of Technology, Darbhanga अंतर्गत अभियंत्रण पाठ्यक्रमों की उपलब्ध सीटों की विवरणी।	-	16
12.	परिशिष्ट-1 (Schedule-III) (SGIDT, Patna में उपलब्ध सीटों की विवरणी)	-	17
13.	परिशिष्ट-1 (Schedule-IV) गया अभियंत्रण महाविद्यालय के Bachelor of Architecture में उपलब्ध सीटों की विवरणी)	-	18
14.	परिशिष्ट-2 (अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रमों में Disabled Quota की आरक्षित सीटों के लिए अर्हता)	-	19
15.	परिशिष्ट-3 सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण ।	-	20
16.	परिशिष्ट-4 (प्रमाण-पत्र / अंक-पत्र / अन्य अभिलेख की सूची)	-	21
17.	परिशिष्ट-5 (दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों/ केन्द्रों की सूची।)	-	22
18.	परिशिष्ट-6 (Certificate of Disability से सम्बन्धित मॉडल प्रपत्र)।	-	23

\*\*\*\*\*

# बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

## अन्डर ग्रेज्यूएट अभियंत्रण एडमिशन काउन्सेलिंग-2024

### Under Graduate Engineering Admission Counselling-2024

#### विवरण पुस्तिका

##### परिचय :

- i. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वि.प्रा.(11) व- 07/2017/2928 दिनांक 25.10.2018 के आलोक में बिहार राज्य के विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों के अभियंत्रण पाठ्यक्रमों तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार के पत्रांक- L.No. 16/Reg./AR (Acad.)/BASU/2127 दिनांक 18.03.2023 के आलोक में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (SGIDT, Patna) में डेयरी टेक्नॉलॉजी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की काउन्सेलिंग मनोनयन / चयन, National Testing Agency (NTA) द्वारा संचालित JEE (Main) की मेधा-सूची के अनुसार मेधा-सह-विकल्पानुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों अन्तर्गत संचालित स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रमों तथा संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के अंतर्गत **B.Tech. (Dairy Technology)** पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु **JEE (Main)** परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के दो चक्रों की ऑनलाईन काउन्सेलिंग के पश्चात् रिक्त सीटों को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संचालित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (बी.सी.ई.सी.ई.)-2024 के **PCM Group** के अभ्यर्थियों से मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दो ऑनलाईन काउन्सेलिंग के माध्यम से भरा जायेगा। इनमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंतर्गत संचालित **Dr. APJ Abdul Kalam Womens Institute of Technology, Navodaya Complex, Kameshwar Nagar, Darbhanga** के पाठ्यक्रम भी सम्मिलित रहेंगे।

- ii. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अधीन संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया में उपलब्ध 5-Year full-time Bachelor of Architecture Course में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की काउन्सेलिंग JEE (Main)-2024 Paper-2 Qualified अभ्यर्थियों से, Valid JEE (Main)-2024 Score या सीट खाली रहने की स्थिति में "NATA"-2024 qualified अभ्यर्थियों के मेधा-सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा। जिसे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा ऑन-लाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की काउन्सेलिंग आयोजित कर, पूर्ण किया जायेगा।

##### 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ :

- यह विवरण पुस्तिका "UGEAC-2024 की विवरण पुस्तिका" के नाम से जानी जायेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह तुरन्त लागू होगी।

##### 1.1 परिभाषाएँ :

- "पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है स्नातक स्तर के अभियंत्रण / आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम।
- "परीक्षा" से अभिप्राय है National Testing Agency (NTA) द्वारा संचालित JEE (Main)-2024 / National Aptitude Test in Architecture (NATA) 2024 Conducted by Council of Architecture.।
- "पर्षद" से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- "सरकार" से अभिप्राय है बिहार सरकार।
- "परीक्षा नियंत्रक" से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं।
- "बिहार" से अभिप्राय है पुनर्गठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है।
- अभियंत्रण धारा से अभिप्राय : अभियंत्रण धारा से अभिप्राय है राज्य के अभियंत्रण कॉलेजों के पाठ्यक्रम एवं संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (SGIDT, Patna) में B. Tech.(D.T.) पाठ्यक्रम।

##### 2. संस्थान परिवर्तन :

संस्थान परिवर्तन संबंधी सभी मामलों पर पर्षद द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार निर्णय लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा। उसके बाद संस्थान एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन-संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के निदेशकों/ कुलपतियों/ प्राचार्यों अथवा संबंधित निदेशालयों द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा पर्षद के निर्णयों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

##### 3. अभियंत्रण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें :

विभिन्न अभियंत्रण संस्थानों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 (सिड्युल-I, सिड्युल-II, सिड्युल-III एवं सिड्युल-IV) में दिया गया है। बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों की सीटों की कुल संख्या में फेर-बदल करने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु काउन्सेलिंग के पूर्व दे दी जायेगी।

##### 4. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

**4.1 JEE (MAIN)-2024, Paper-I and Paper-II for Architecture** की मेधा-सूची (Rank list) के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं आरक्षण लाभ के लिए UGEAC-2024 के Online आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उसी आरक्षण कोटि को भरें जिसके लिए आपको विधि

वत् जाति प्रमाण प्राप्त हो। राष्ट्रीय स्तर पर OBC (Other Backward Class) को बिहार राज्य में BC (Backward Class) एवं EBC (Extremely Backward Class) के रूप में पहचान प्राप्त है। अतः OBC के स्थान पर BC अथवा EBC जिस आरक्षण कोटि में आप आते हों उसका ही अल्लेख करें।

UGEAC-2024 के अनुसार नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए कॉउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन Submit करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

- 4.2 जो आवेदक बिहार राज्य के स्थायी निवासी (Permanent resident) हों उनके लिये प्रत्येक संस्थान में नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा Online आवेदन-पत्र की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नीति [बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023] के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये (कॉडिका-4.1 के आलोक में) आरक्षण निम्नवत हैं :-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	20%
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	02%
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	25%
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	18%
5.	* आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (Reserved for Economically Weaker Sections : EWS)	10%

शेष 25% अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category : UR) की होगी।

नोट - (i) \* आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक गजट (संख्या- पटना 284) पटना, दिनांक 26.02.2019 के अनुसार होगा।

(ii) बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम-2021 की कॉडिका-8 में उल्लेखित प्रावधान "बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वार आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों की एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए श्रेष्ठ रूप से आरक्षित रहेंगी। परन्तु यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही

पात्र होंगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित/ गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगी।" बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 का उक्त प्रावधान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में नामांकन में लागू होगा।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापक-12722 दिनांक 12.09.2014 के आलोक में किन्नर / कोथी / हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

- 4.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णांकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

- 4.4 JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 की मेधा-सूची (Rank list) में अंकित कोटि एवं बिहार सरकार द्वारा तदनुसार निर्गत SC/ST/EBC/BC/ EWS की सूची जो कॉउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू की गयी तथा जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र विधिवत प्राप्त हो, उसी के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) मान्य होगा।

JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 की प्राप्त मेधासूची में अभ्यर्थी की जो आरक्षण कोटि (OBC / SC / ST) दर्ज है वही आरक्षण कोटि UGEAC-2024 के लिए मान्य होगी। OBC आरक्षण कोटि को अभ्यर्थी OBC के स्थान पर बिहार राज्य में लागू BC और EBC जो भी उनकी आरक्षण कोटि हो उसे ही भरें।

- 4.5 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर Unreserved (UR) की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें Unreserved (UR) में मनोनुकूल पाठ्यक्रम / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपनी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेधाक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।

(ii) इस संदर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करता है तो उसे विचारोपरान्त अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

- 4.6 दिव्यांग कोटा (Disabled Quota i.e. DQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

- 4.6.1 दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की पाँच प्रतिशत सीटें दिव्यांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के लिए कॉउन्सेलिंग प्रक्रिया आरम्भ करने तक जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

- 4.6.2 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 के मेधासूची के आधार पर UGEAC-2024 की कॉउन्सेलिंग

/ साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर DQ (Disable Quota) अंकित करें जो JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 की मेधासूची में उनके दिव्यांग (PH) या (DQ) होने को संपुष्ट करता हो। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड (दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों / केन्द्रों) द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है (देखें परिशिष्ट-5 एवं 6)। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फोटो चिपका होना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की कोटि, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के स्थायी होने अथवा दिव्यांगता के घटने-बढ़ने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र कब तक के लिये मान्य है की अवधि / तिथि का उल्लेख होना चाहिए।

**4.6.3** दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक तभी अभियंत्रण पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जबकि स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। डॉक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा [(देखें परिशिष्ट-2)।

**5. अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएँ / अर्हताएँ :-**

**5.1 शैक्षणिक :**

(A) (i) इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी (चार वर्षीय पाठ्यक्रम): Passed 10+2 examination with Physics/ Mathematics/ Chemistry/ Computer Science/ Electronics/ Information Technology/ Biology/ Informatics practices/ Biotechnology/ Technical Vocational Subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneurship as per table-8.4 of Approval Process Handbook (APH)-2024-27 of All India Council for Technical Education (देखें परिशिष्ट-7). Agriculture stream (for Agriculture Engineering) Obtained atleast 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the above subject taken together.

OR

Passed minimum 3 years Diploma examination with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category).

(The Universities will offer suitable bridge courses such as Mathematics, Physics, Engineering drawing, etc, for the students coming from diverse backgrounds to prepare Level playing field and desired learning outcomes of the programme).

OR

Passed D.voc Stream in the same or allied sector.

- (ii) उपरोक्त कंडिका- 5(i) के प्रावधान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के निर्णयानुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है और वे ही प्रावधान अन्तिम रूप से मान्य होंगे।
- (iii) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

के पत्र के अनुसार भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार/ माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो तदनुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

**(B) 5-Year full-time Bachelor of Architecture Course:**

- (i) No candidate shall be admitted to Architecture course unless he/she has passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as Compulsory subjects along with either Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or Information Technology or Informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies with at least 45% marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as Compulsory subject with atleast 45% Marks in Aggregate.
- (ii) The candidate needs to qualify an aptitude test in architecture conducted either by NTA (JEE) or 'NATA' conducted by the Council of Architecture.
- (iii) उपरोक्त प्रावधान Council of Architecture के निर्णयानुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है।
- (iv) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र के अनुसार भविष्य में अगर कोई निर्देश दिया जाता है तो तदनुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

**5.2 आयु सीमा :**

इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा नहीं है।

**5.3 शारीरिक :**

प्रवेश के लिये चयनित अभ्यर्थियों की डाक्टरी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु नामांकन-आदेश निर्गत होगा। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा।

**5.4 आवासीय अर्हता :**

केवल वे ही आवेदक JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 की मेधा-सूची के आधार पर UGEAC-2024 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थी प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

- I. जिनके माता-पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।  
अथवा
- II. जिनके माता-पिता बिहार में निबन्धित शरणार्थी हैं।  
अथवा
- III. जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।  
अथवा
- IV. जिनके माता-पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।  
अथवा
- V. जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों (Public Sector Undertaking of Govt. of India) के कर्मचारी हैं।  
अथवा
- VI. जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

**5.5** SGIDT, Patna के डेयरी टेक्नॉलॉजी पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवासीय अर्हता कंडिका-5.4 के अनुसार होना चाहिए एवं JEE (MAIN)-2024 परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए तथा PCM या PCMB Subject से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

**5.5.1** संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटें :

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत SGIDT, Patna के डेयरी टेक्नॉलॉजी पाठ्यक्रम की सीटें, Paid (Self Finance) एवं NRI कोटा के अन्तर्गत कुल सीटों की संख्या परिशिष्ट-1 सिड्युल-IV में देखें। इनमें यदि बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा कोई फेरबदल किया गया तो उसकी सूचना नामांकन के समय दे दी जायेगी।

**5.5.2 Eligibility criteria for the Self-financed and NRI / NRI sponsored seats of B.Tech. (D.T.) :**

**Self-financed Seats :** Priority to be given to the domicile of Bihar. If seats remain vacant, then the same may be filled with eligible candidates of other states domicile. All the admission shall be as per Govt. of Bihar. Candidates seeking admission under this category will have to fulfill all the eligibility requirements and criteria as prescribed for the admission under General category [for B. Tech. (D.T.)] unless specified during the admission process.

**NRI / NRI Sponsored Seats :** The eligibility for admission under the NRI Quota Seats will be NRI candidates himself / herself or children of NRI whose parents are resident of Bihar.

Candidates seeking admission under this category will have to fulfill all the eligibility requirements and criteria as prescribed for the admission under General category [for B. Tech. (D.T.)] unless specified during the admission process.

**5.5.3 A.** Special Mop-up Counselling for admission shall be organised by the BCECEB, Patna for filling up the vacant seats after completion of Mop-up Counselling for admission.

**B.** In case of non-availability of suitable candidates for the vacant seats for NRI and/or Self Financed Quota during special Mop-up Counselling for admission organized by the BCECEB, Patna for the different Undergraduate Programme of the University, the vacant seats shall be filled in the following order -

- In case of non-availability of suitable candidates against vacant seats of NRI / NRI Sponsored quota, the vacant seats of NRI / NRI Sponsored quota shall be transferred under the self-Financed Seats and the counselling for admission will be done in continuation of Reservation roster points by adding the transferred seats.
- Further, in case of non-availability of suitable candidates against vacant seats of Self-Financed quota, the vacant seats of Self-financed quota shall be transferred under the State Quota seats and the counselling for admission will be done in continuation of Reservation Roster points by adding the transferred seats.
- In view of the above special Mop-up round will be organised by BCECEB, Patna / BASU, Patna

**5.5.4** संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान (SGIDT), पटना के B. Tech. (D.T.) पाठ्यक्रम में Self Finance एवं NRI सीटें से सम्बन्धित शुल्क एवं अन्य सूचनाएँ सम्बन्धित संस्थान / संस्थान के website से जानकारी प्राप्त कर लें।

**6.** सैनिक कर्मचारी कोटा (Service Men's Quota, i.e., SMQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

(i) बिहार राज्य निवासी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/अविवाहित पुत्रियों के लिए प्रत्येक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में संचालित प्रत्येक शाखा में एक-एक सीट आरक्षित (Service Men's Quota) हैं, जिनका विवरण कॉउन्सेलिंग/ साक्षात्कार के समय दिया जायेगा।

**नोट :** सैनिक कर्मचारी कोटा के आरक्षित सीटों पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 1647 दिनांक 08.06.2010 के अनुसार नामांकन हेतु सीट आवंटन किया जायेगा। देखें परिशिष्ट-2 (IV) ।

(ii) इन SMQ सीटों पर नामांकन बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों को दी जायेगी। यदि फिरभी SMQ की सीटें रिक्त रह जाती है तो उन सीटों को गुणागुण कोटि से भरी जायेगी।

इन SMQ की आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ ही निम्नांकित प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा उनके लिए SMQ संवर्ग के अन्तर्गत नामांकन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी हालत में बाद में प्रस्तुत SMQ संबंधित प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

• **सेवारत/ भूतपूर्व/ सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी के पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन हेतु कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य (mandatory) है।**

I. कार्यरत सैनिक कर्मचारी के मामलों में, उनके सैनिक होने तथा आवेदक के उनके पुत्र / पुत्री होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत ।

II. भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा आवेदक के उनके पुत्र / पुत्री होने से सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, उनके सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत ।

(iii) **भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex.-Service Men) कौन है?**  
As per the Extract of "A Guide To Resettlement of Ex-Service Men-1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement :

(i) An Ex-Service Man is a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the

reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

- (iv) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Militia are also now treated as "Ex-Service Men".
- (v) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as "Ex-Service Men" by the Ministry of Defence. The Categories are :
  - (a) Pension Holders of the continuous embodied service.
  - (b) Disabled Territorial Army personnel with disability attributed to Military Service.
  - (c) Family Pension Holders.
  - (d) Gallantry Award Winners.

**7. JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 की मेधा-सूची के आधार पर UGEAC-2024 की काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए योग्यता (Eligibility), Online आवेदन की प्रक्रिया एवं काउन्सेलिंग शुल्क :**

**(i) योग्यता (Eligibility) :**

JEE (Main)-2024 / NATA-2024 जो राष्ट्रीय स्तर पर NTA द्वारा आयोजित की गई है, के आधार पर प्राप्त मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी ही UGEAC-2024 के लिए Online आवेदन करने हेतु योग्य (Eligible) है।

**(ii) UGEAC-2024 हेतु Online आवेदन की अनिवार्यता :**

उपर वर्णित कडिका-5.4 के अनुसार योग्य (Eligible) अभ्यर्थियों के लिए UGEAC-2024 के आधार पर अभियंत्रण / आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम की सीटों पर नामांकन हेतु काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए Online आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे कडिका-6(iii) में दी गयी है। जो अभ्यर्थी UGEAC-2024 के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे वे UGEAC-2024 से सम्बन्धित किसी भी साक्षात्कार / काउन्सेलिंग में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे एवं इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

**(iii) Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :**

UGEAC-2024 में सम्मिलित होने के लिए विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website : [bceceboard.bihar.gov.in](http://bceceboard.bihar.gov.in) से Download कर प्राप्त कर सकते हैं।

UGEAC-2024 में सम्मिलित होने के लिए योग्यता प्राप्त (Eligible) अभ्यर्थी उपरोक्त website के 'Apply for UGEAC-2024 के Link पर Click करें। इसके साथ ही Online आवेदन हेतु screen पर दिये गये निर्देशों (Instructions) को अच्छी तरह पढ़ लें।

**I. Step-One - Registration :** For registering, the candidate is required to fill the information asked in Step-One of the application form, appearing on the computer screen. Candidates must enter their JEE (MAIN)-2024 Application No. and then click on verify button and after that enter your Date of Birth and click OK to verify your details. If Data gets verified then proceed for further process else provide your correct credentials like JEE (MAIN)-2024 Application No. and Date of Birth.

Candidate while registering, must see that he / she is giving his / her own email ID and mobile no., because all informations concerning registration will be sent on the same email ID and mobile no. The candidate will have to verify their Mobile no. and Email ID through a verification code sent on their respective mobile no. and email ID. After verification of mobile no. and email ID and having successful Registration, the mobile no. and email ID will not be changed under any circumstances. After successful Registration candidate will receive a message of successful registration on their registered mobile no. and email. After that candidate will have to login to their account by entering their registered email ID and Password and will process the further activities to duly submit their online application form. The candidate must keep the password entered in Application Form confidential, otherwise BCECE Board will not be responsible for any complication. The email ID given by the candidate will be his user name.

**II. Step-Two - (Personal Information) :** After successful registration and activating the account, the candidate should again "Sign in" to his account and thereafter complete the required entries regarding personal information on the computer screen. Then click on "Submit & Continue" button.

**III. Step-Three - (Upload Photo and Signature) :** After entering the personal information the candidate should upload his / her passport size photograph of high contrast (Photo must be snapped with placard containing candidate's name and snapping date), and full signature in Hindi and English (Not in capital letter) after duly scanning the same. After uploading photo and signature click on "Submit & Continue" button.

**IV. Step-Four - (Educational Information) :** After uploading the scanned photo and signature the candidate should enter his / her educational information on the computer screen and click on "Submit & Continue" button.

**V. Step - Five (Preview your application) :** After entering educational information the candidate must verify all the information given by him/her while verifying given information in step-2, step-3 and step-4. If any information is found wrong, then the candidate should click "Back to Edit" button and make required corrections. Thereafter the candidate should click "Submit & Continue" button so that entered information should be updated.

If preview of application form is found to be correct, then the candidate has to give his / her Declaration and click the "Confirm & Submit" button so that he / she could pay Examination Fee as per Step-Six.

**VI. Step - Six (Payment of Counselling Fee) :** After preview of the Application Form and submitting the same, the candidate should click "Proceed to Payment" button and complete the payment procedure according to

instructions appeared on the computer screen regarding payment of Counselling Fee. **Paid Counselling Fee will not to be refunded.**

- a. **Online Payment :** Candidate will have to pay the Counselling Fee through Online mode only i.e. Credit Card / Debit Card / Net banking/ UPI, The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through online mode.
- b. **Counselling Fee :** Counselling fee to be paid through above modes is Rs. 1200/- (One Thousand Two Hundred) only for Unreserved/ EWS / BC / EBC candidates and Rs. 600/- (Six Hundred) only for SC / ST / DQ (PwD) candidates.

**Note:** (i) If the amount paid as Examination / Counselling fee is debited from your account but the fee transaction fails, then in such a case you must re-pay the desired full fee and ensure the payment. If your required Examination / Counselling fee do not reflect in Board's account within the due date, your application form will remain incomplete and you will not be eligible for Examination / Counselling.

**Your failed deducted amount from bank will be refunded to your account within 6-7 working days.**

(ii) Any queries regarding Examination / Counselling fee you may contact [bangalorepgsd@billdesk.com](mailto:bangalorepgsd@billdesk.com) available on online application portal *or* helpdesk phone number 0612-2220230.

**VII. Step - Seven (Download part- A & Part-B) :** After payment of Counselling Fee upto scheduled date and time, the candidate must download Hard Copy (Part-A & and Part-B) of online submitted Application Form and keep the same safely in his possession because it contains all informations provided by the candidate and the UGEAC-ID made available by the Board for further use during counselling.

**Note : a. The candidates are required to fill up the reservation category very carefully taking into consideration the reservation policy/ rules / category as specified and applicable in the State of Bihar on or before the date of starting the process of online submission of the prescribed application form for JEE (MAIN)-2024.**

- b. Hard copy of PART-A & PART-B need not be sent to the Board's office, but instead, this is to be made available at the time of counselling.
- c. After completing the above procedure and finally submitting the online application form, there is no provision for any change or modification in the same.
- d. The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request for refund / chargeback of paid counselling fee will be entertained.
- e. Board will not be responsible for any interruption in Internet / Banking system. Therefore the candidates

must not wait till the last dates and complete all procedure before the due date.

- f. Final Merit list will be prepared after scrutinising the data of JEE (MAIN)-2024 provided by Science & Tech. Deptt., Govt. of Bihar.
  - g. No other chance will be given to any candidate for submitting online application after due date for online submission of application.
  - h. **After online submission of application, if the applicant finds any entries/ photo / signature uploading error has / have been made, then he/ she will have opportunity to edit / rectify the same on the fixed date as notified in concerned advertisement.**
  - i. **The above mentioned editing / rectification / correction opportunity will be available for only those candidates, who have successfully filled their online application form and make the payment successfully within due date.**
  - j. **For making rectification / correction / editing in online submitted application, the candidate is required to enter the registered email ID & Password and click on "Sign In" button for getting his account to login where the editing process will be carried out.**
4. All the certificates included in the list given below, if applicable, must be submitted in original by every candidate at the time of his / her counselling / allotment on the scheduled date ;
- (i) Original Admit Card of JEE (MAIN)-2024
  - (ii) Original Score Card of JEE (MAIN)-2024
  - (iii) Passing Certificate / Mark sheet / Admit Card of Matric / equivalent exam.
  - (iv) Passing Certificate / Mark sheet / Admit Card of Intermediate/ 10+2 / equivalent exam.
  - (v) Residential Certificate.
  - (vi) Caste Certificate.
  - (vii) All the Certificate / documents in original as per the requirements of admissions in Private Engg. Colleges.
  - (viii) Six copies of the passport size photographs, which was pasted on the Admit Card of JEE (MAIN)-2024.
  - (ix) Downloaded print of Online filled Application Form (Part A & Part B) of UGEAC-2024.
  - (x) Aadhar Card.
  - (xi) Any other documents required (if any) such as DQ (PwD)/SMQ / EWS certificate.
5. **Important dates for UGEAC-2024 [B.E. / B. Tech.] :**
- (i) Online Registration starting date : **15.05.2024**
  - (ii) Online Registration closing date : **10.06.2024**
  - (iii) Last date of payment through Net Banking/ Debit Card/ Credit Card/ UPI with final submission of the online Application Form of Registered candidate : **11.06.2024**



- (iv) Online Editing of Application Form : **12.06.2024 to 13.06.2024**
- (v) Publication of Merit list of UGEAC-2024 : **15.06.2024**
- (vi) Proposed date of Online Counselling : **To be notified later on.**
- 8. कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें :**
- 8.1(क)** छात्र-छात्राओं द्वारा पूर्ण रूप से विचार कर ही ऑन लाईन कॉउन्सेलिंग में संस्थान एवं शाखा के चयन का विकल्प भरा जाय। छात्र-छात्राओं द्वारा ऑन लाईन कॉउन्सेलिंग में दिये गये विकल्प को उनके मेधा के आधार पर कम्प्यूटराईज पद्धति द्वारा संस्थान एवं शाखा आवंटित की जायेगी। ऑन लाईन कॉउन्सेलिंग समाप्त होने या चेन्ज ऑप्शन फ्रिज होने (जो भी पहले हो) के पश्चात् उन्हें आवंटित संस्थान एवं शाखा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो पायेगा।
- 8.1(ख)** जो आवेदक अपने ऑन लाइन प्रपत्र / साक्षात्कार/कॉउन्सेलिंग के समय / नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में अथवा नामांकन के बाद अगर अनुचित तरीके अपनाने के दोषी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नामांकन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा। ऐसे निष्कासित अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
- 8.2 JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024** के आधार पर की मेधा- सूची (Rank list) तैयार करने में यदि किसी प्रकार की भूल/ गलती का पता चलने पर नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- 8.3** प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की जाँच के बाद अन्तिम रूप से योग्य पाये जाने पर मेधा-सह-विकल्प के आधार पर, निर्धारित तिथि को (कॉउन्सेलिंग के क्रम में) पाठ्यक्रम / संस्थान का आवंटन किया जायेगा। आवंटित सीट पर नामांकन हेतु डाक्टरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर ही अन्तिम रूप से पाठ्यक्रम / संस्थान में नामांकन किया जा सकेगा।
- 8.4 JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 / UGEAC-2024** की मेधासूची के आधार पर नामांकन हेतु चयन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद / Council of Architecture के प्रावधान को लागू किया जायेगा। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद / Council of Architecture, माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो विचारोपरान्त तदनुसार कार्रवाई की जायेगी।
- 8.5 JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 / UGEAC-2024** के सम्बन्ध में विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना / सूचनाएँ या पर्षद की वेबसाइट पर दी गयी सूचना / सूचनाएँ, इसी विवरण पुस्तिका के भाग होंगे।
- 9. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :**
- 9.1 JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 / UGEAC-2024** की मेधासूची के आधार पर साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा। पर्षद द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।
- 9.2** इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।
- 9.3** इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन/ परिवर्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा।
- 9.4** समय-समय पर Website के माध्यम से UGEAC-2024 की कॉउन्सेलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना / सूचनायें दी जाती रहेंगी। उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।
- 9.5** UGEAC-2024 हेतु निर्गत इस विवरण पुस्तिका/ आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है।
- 9.6** इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।
- 9.7** (क) अगर कोई अभ्यर्थी UGEAC-2024 के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा-सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाया जाता है तो नामांकन हेतु उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी।  
(ख) यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त होने अथवा Impersonation का दोषी पाया जाता है या JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 / UGEAC-2024 की परीक्षा कक्ष में मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़े जाने की पुष्टि होती है तो नामांकन हेतु निर्गत आवंटनादेश स्वतः रद्द हो जायेगा।
- 9.8 JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 / UGEAC-2024** की मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्च से स्वयं कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे।
- 9.9** कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की जाँच आदि के लिये अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में ससमय स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा नामांकन हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

- 9.10** अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को UGEAC-2024 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् कभी भी इस भूल का पता चलता है तो वह मेधा-सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नामांकन हेतु अपना दावा / अधिकार खो देगा। अगर इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन-आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।
- 9.11** नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी।
- 9.12** UGEAC-2024 के संचालन तथा इससे सम्बन्धित आवेदन प्रपत्रों से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और वही मान्य होंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिए परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगी।

















## परिशिष्ट-1 (Shedule-II)

Statement of Total Available Seats in 5-Year full-time Bachelor of Architecture Course  
Session-2024 Based on UGAAC-2023)

Sl.	Institution	Course	Total Seats	1/3 for Female Seats	UR	F_UR	SC	F_SC	ST	F_ST	EBC	F_EBC	BC	F_BC	RCG	EWS	F_EWS	Total	DQ 5% Inclusive in Total Seats
1	Gaya College of Engineering., Gaya	5-Year full-time Bachelor of Architecture	40	13	11	5	4	2	1	0	5	2	3	2	1	3	1	40	2
TOTAL			<b>40</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>2</b>

बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023, के अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया

Note : (i) The available seats as mentioned above are provisional. Any Change in number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.

(ii) Total Seats in each institution are inclusive of Disable Quota Seats.

(iii) Required 1/3 seats of State Quota shall be treated as Women According to prescribed provisions.

**Statement of Total Available Seats of Dr. APJ Abdul Kalam Womens Institute of Technology, Navodaya Complex,  
Kameshwar Nagar, Darbhanga, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga in Engineering Stream**

**Session-2024**

**Note: BCECE Board / State Govt. Reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.**

Institution	Branch	Round off Figure as per Reservation Rules								
		UR	SC	ST	EBC	BC	EWS	Total	DQ	SMQ
Dr. APJ Abdul Kalam Women's Inst. Of Tech., Navodya Complex, Kameshwar Nagar, Darbhanga	COMPUTER Sc. & Engg.	15	12	1	15	11	6	<b>60</b>	3	0
	INFORMATION TECHNOLOGY (IT)	7	6	1	8	5	3	<b>30</b>	1	0
	Bio Informatics (BI)	8	6	1	7	5	3	<b>30</b>	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

\* (i) The Institutions, Courses and available seats as mentioned above are provisional. Any Change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.

(ii) Total Seats in each institution are inclusive of Disable Quota Seats.

(iii) SMQ Seats are included in total seats in each institution and allotment under this quota will be made after approval from the Department of Science & Technology, Govt. of Bihar.

## परिशिष्ट-1 (Shedule-IV)

## Statement of Total Available Seats of S.G.I.D.T., Patna

## Session-2024

Sl.	स्नातक पाठ्यक्रम / महाविद्यालय	कुल सीट	**ICAR कोटा के तहत 15%	(85 % सीट राज्य कोटा + 15 % सीट ICAR कोटा) 34 सीटों का बँटवारा						
				NRI Quota 5%	34 सीटों का बँटवारा आरक्षण रोस्ट्रों के अन्दर					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
					अनारक्षित	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	
1	संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	40	-	2	9	7	1	8	6	3
					Paid (Self-financed) कोटा के 10 % अर्थात 04 सीटों का बँटवारा आरक्षण रोस्ट्रों के अन्दर					
					2	1	-	1	-	-

\* दिव्यांग उम्मीदवार के (5%) क्षेत्रीय आरक्षण के 02 सीटें दिव्यांग उम्मीदवार जिस वर्ग से संबंधित होंगे उनकी गिनती उसी वर्ग विशेष (UR / R) में की जायेगी। योग्य दिव्यांग उम्मीदवार की अनुपलब्धता स्थिति में Physically Fit उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।

- नोट: (i) The available seats as mentioned above are provisional. Any Change in number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.  
(ii) Total Seats in each institution are inclusive of Disable Quota Seats.

## परिशिष्ट-2

### अभियंत्रण / आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम ग्रुप से सम्बन्धित दिव्यांगजन की अर्हता / योग्यता

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-11 / आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0-13062, पटना दिनांक 12.10.2017 एवं सा.प्र. 7162 पटना, दिनांक 31.05.2018 के अनुसार शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका

1. कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-11/आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0 13062 पटना दिनांक 12.10.2017 में वर्णित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो कॉउन्सेलिंग के समय उन्हें चिकित्सकीय जांच करानी होगी। जिसके लिए विहित शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा।
2. प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड के सत्यापन के बाद मेधा-सह-विकल्प के आधार पर राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसी शैक्षणिक संस्थानों में, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भी दिव्यांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित/ गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध होगी।
3. केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कम-से-कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। (उपरोक्त संकल्प कंडिका-V )
4. दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों एवं पाठ्यक्रम के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय तिथि तक लागू निदेशों का पालन किया जायेगा।

-----

## परिशिष्ट- 3

### सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत अभियंत्रण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण

### बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

### संकल्प

बि० प्र० (II) छात्र /02/2008/ 1647

पटना, दिनांक 08.06.2010

विषय :- सैनिक कोटा के अधीन राज्य के अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन हेतु स्थान आरक्षित करने के संबंध में ।

बिहार सरकार, औद्योगिक एवं सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-4182 दिनांक-02, अगस्त 1960 के द्वारा सैनिक कोटा के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय के सिविल तथा मेकेनिकल पाठ्यक्रम प्रत्येक में एक-एक स्थान एवं पटना पोलिटेकनिक में एक स्थान में नामांकन हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था । साथ ही, गृह विभाग (सैनिक पुनर्वास निदेशालय) के पत्र सं० 412, दि० 18.2.1985 द्वारा भी कार्यरत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन में स्थान आरक्षित किया गया था । इन प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में सेवारत सैनिक कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/ अविवाहित पुत्रियों / आश्रित सहोदर भाइयों / आश्रित अविवाहित सहोदर बहनों / आश्रित भतीजा तथा भतीजियों के लिए प्रत्येक अभियंत्रण/पोलिटेकनिक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त एक-एक सीट पर मेधा के आधार पर प्रवेश लिया जाता रहा है ।

2. उपर्युक्त प्रासंगिक संकल्प के संशोधन का मामला निम्न कारणों से राज्य सरकार के विचाराधीन था:-

(i) सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निदेश में भूतपूर्व / कार्यरत सैनिकों के आश्रितों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मात्र उनके बच्चों हेतु स्थान आरक्षित किये जाने का उल्लेख है । इसके अलावा प्रासंगिक संकल्प में अभियंत्रण महाविद्यालय / पोलिटेकनिक संस्थानों में मात्र भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है ।

(ii) संकल्प संख्या-4182 दिनांक 02 अगस्त 1960 की निर्गत होने की तिथि के बाद से राज्य में तकनीकी संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा उक्त संकल्प में सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के मामले में सभी पाठ्यक्रम तथा पोलिटेकनिक संस्थान के मामले में सभी पोलिटेकनिक संस्थानों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों का उल्लेख नहीं था ।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन के रूप में कार्यरत है तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सीट पर नामांकन की वैधता नहीं है ।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-456 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 50 प्रतिशत सीट ही आरक्षित किये जाने का प्रावधान है ।

3. तदनुसार, कार्यरत / भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए राज्य के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिया है:-

(i) सैनिक कोटा के अधीन राज्य के राजकीय अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत/ भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों का ही नामांकन होगा बशर्ते बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में वे सफल घोषित किये गये हैं ।

(ii) कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र / पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्रि पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्र-पुत्री होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अंतर्गत एक-एक सीट सैनिक कोटा के लिए आरक्षित होगा । सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित / अनारक्षित कोटि से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी । अर्थात्, यह आरक्षण क्षैतिज रूप में लागू होगा ।

(iv) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम, 16/2003) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में नामांकन आदि की कार्रवाई की जाती रहेगी ।

(v) उपर्युक्त प्रावधान सत्र 2010-11 के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से लागू होंगे ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

-----

परिशिष्ट-4

## प्रमाण पत्र / अंक पत्र / अन्य अभिलेख की सूची

- 
- |     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 1.  | Mark sheet and Admit Card of +2/I.SC or equivalent Examination                                   | - | by relevant Board/ Council.   |
| 2.  | Passing Certificate of +2/I.SC or equivalent Examination   | - | by relevant Board/ Council  |
| 3.  | Mark sheet and Admit Card of 10th / equivalent Examination's mark sheet/ Certificate/ Admit Card | - | by relevant Board/ Council  |
| 4.  | Caste Certificate & Permanent Residential Certificate  | - | Issued by Concerned C.O. / Revenue Officer of Permanent Residence.                                  |
| 5.  | Character Certificate  | - | Issued by Head of Institution last attended/ studied  |
| 6.  | Income Certificate (if needed)   | - | Issued by C.O. / Revenue Officer of Permanent Residence.  |
| 7.  | Admit Card   | - | Admit Card of JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024   |
| 8.  | Photograph   | - | Four Photo graphs identical to one used for preparing the Admit Card of JEE (MAIN)-2024 / NATA-2024 |
| 9.  | Certificate of Disable Quota   | - | As per Para-4.6.2 of this prospectus .  |
| 10. | Aadhar Card (Identity Certificate).  |   |   |
| 11. | Hard Copy of Online submitted application form (Part-A & Part-B)                                 |   |   |

\*\*\*\*\*

परिशिष्ट-5दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों / केन्द्रों की सूची

<b>S.No.</b>	<b>Name of Medical Colleges / Institutions</b>	<b>Speciality for Disability</b>
1.	PMCH, Patna	Visual Impairment / Locomotor Disability
2.	NMCH, Patna	Visual Impairment / Locomotor Disability
3.	IGIMS, Patna	Visual Impairment / Hearing and Speach Disability
4.	DMCH, Darbhanga	Visual Impairment / Locomotor Disability
5.	JLNMCH, Bhagalpur	Visual Impairment / Locomotor Disability
6.	ANMMC, Gaya	Visual Impairment / Locomotor Disability
7.	SKMCH, Muzaffarpur	Visual Impairment / Locomotor Disability
8.	GMCH, BETTIAH	Locomotor Disability
9.	BMIMS, PAWAPURI	Locomotor Disability
10.	JKTMC & H. MADHEPURA	Locomotor Disability



**परिशिष्ट-6****CERTIFICATE OF DISABILITY FOR ADMISSION IN B. Tech. (ENGINEERING) / ARCHITECTURE COURSES**

Certificate No.: .....

Dated: .....

Same photo as given in  
Online Application  
Form duly attested by  
the issuing authority

Name of the Designated Centre : .....

This is to certify that Mr. / Ms. ....

Aged: ..... years Son / Daughter of Mr. ....

Residential Address : .....

UGEAC 2024 ID No. : ..... DQ Rank ..... has the following  
disability (name of the specified disability) ..... in  
(percentage) of ..... (in words) ....., (In figure).

\* **Please tick on the “Specified Disability”**

SN.	Disability Type	Type of Disability	Specified Disability
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability* B. Visual Impairment* C. Hearing Impairment* D. Speech & Language Disability	a. Leprosy cured person, b. Cerebral Palsy, c. Dwarfism, d. Muscular Dystrophy, e. Acid attack Victims, f. other such as amputation, pollomyelitis a. Blindness b. Low Vision a. Deaf b. Hard of hearing a. Organic / Neurological causes
2.	Intellectual Disability		a. Specific Learning Disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia, dyspraxia & Development Aphasia b. Autism Spectrum Disorders
3.	Mental Behaviour		a. Mental illness
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological conditions b. Blood Disorders	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinson's disease i. Hemophilia, ii. Thalassemia, iii. Sickle Cell Disease
5.	Multiple Disability including Deaf Blindness		More than one of the above-specified disabilities

\* **Conclusion:** He / She is **Eligible / Not Eligible** for admission in B. Tech. (Engg.) / Architecture Courses as per the Notification(s) subject to his being otherwise medically fit.

# Functional competency with the aid of Assistive devices in case of Locomotor\* / Visual\* / Hearing\* Impairment, if any .....

Sign. & Name .....  
(Concerned Specialist)

Sign. & Name .....  
(Concerned Specialist)

Sign. & Name .....  
(Concerned Specialist)

(Signature of Principal)

Name : .....

Name of Institution

### 1.3 (a) Diploma/Under Graduate Engineering Entry level qualification 10+2 level

Sr. No.	Major Disciplines	Mandatory courses at 10+2 Level	Other relevant course(s) for this discipline
1	Aeronautical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
2	Agriculture Engineering**	Phy, Chem OR Agriculture stream	Maths/Biology/Biotechnology/Agriculture/ Agriculture stream
3	Architecture	As per Norms of Council of Architecture ( CoA )	
4	Planning	Maths	For remaining two courses select any courses out of 14 <sup>#</sup>
5	Biotechnology**	Phy, Chem	Select any one from Bio/Biotechnology/Maths
6	Ceramic Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
7	Civil Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
8	Computer Science and Engineering	Phy, Maths	For remaining single course select any courses out of 14 <sup>#</sup>
9	Chemical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
10	Dairy Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
11	Electrical Engineering	Phy, Maths	For remaining single course select any courses out of 14 <sup>#</sup>
12	Energy Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
13	Electronics Engineering	Phy, Maths	For remaining single course select any courses out of 14 <sup>#</sup>
14	Mechanical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
15	Fire and Safety Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
16	Food Engineering	Chem	For remaining two courses select any courses out of 14 <sup>#</sup>
17	Leather Technology	Chem	For remaining two courses select any courses out of 14 <sup>#</sup>
18	Marine Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
19	Metallurgy Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
20	Military Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
21	Mining Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
22	Nano Technology	Phy, Chem, Maths	NA
23	Nuclear Science and Technology	Phy, Chem, Maths	NA
24	Packaging Technology	Nil	Select any courses out of 14 <sup>#</sup>
25	Pharmaceutical Engineering**	Phy, Chem	Select any one from Bio/Biotechnology/Maths
26	Printing Engineering**	Phy, Chem	For remaining single course select any courses out of 14 <sup>#</sup>
27	Textile Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
28	Fashion Technology	Nil	Select any courses out of 14 <sup>#</sup>
29	Textile Chemistry	Chem	For remaining two courses select any courses out of 14 <sup>#</sup>

\*\* First one or two Semesters may be so designed that students with Biology/Biotechnology background have adequate courses on Maths and Vice Versa and then the class is at level studying field for the rest of the semesters.

#Physics/ Mathematics / Chemistry/ Computer Science/Electronics/Information Technology/ Biology/ Informatics Practices/ Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship

# UNDER GRADUATE ENGINEERING ADMISSION COUNSELLING (UGEAC)-2024

**आवश्यक**

## 1. UGEAC-2024 से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियाँ :-

- (i) Online Registration starting date ..... : **15.05.2024**
- (ii) Online Registration closing date ..... : **10.06.2024**
- (iii) Last date of payment through Net Banking/ Debit Card/ Credit Card/ UPI with final submission of the online Application Form of Registered candidate ..... : **11.06.2024**
- (iv) Online Editing of Application Form ..... : **12.06.2024 to 13.06.2024**
- (v) Publication of Merit list of UGEAC-2024 ..... : **15.06.2024**
- (vi) Proposed date of Online Counselling ..... : **To be notified later on.**

2. कार्यालय (बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड) फोन नं. : **0612-2220230**

3. बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड वेबसाइट : **bceceboard.bihar.gov.in**